

माता-पिता के उत्तरदायित्व

माता-पिता शीघ्र हस्तक्षेप प्रक्रिया में सक्रिय प्रतिभागी होते हैं।

माता-पिता के उत्तरदायित्वों में शामिल हैं:



IFSP प्रक्रिया में पूरी भागीदारी - अपने बच्चे के लिए लक्ष्यों को नियोजित करने और उन्हें पूरा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ काम करना तथा उनके साथ अपने ज्ञान और अवलोकनों को बाँटना।



अपने सेवा संयोजक को उन मुद्दों की जानकारी देना जो उनके बच्चे की सेवाओं पर असर डाल सकते हैं।



निर्धारित 'अपॉइन्टमेंट्स' के लिए समय पर पहुँचना और जब वे किसी निर्धारित समय पर पहुँचने में असमर्थ हों तो इसके बारे में अपने सेवा प्रदाता को सूचित करना।



जहाँ पर सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, वहाँ पर लोगों का और परिवेश का आदर करना ताकि सभी परिवारों को शीघ्र हस्तक्षेप से लाभ हो सके।



और अधिक जानकारी चाहिए? निम्नलिखित संसाधन शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में माता-पिता के अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं:

- ड्रीम्स एण्ड चैलेंजेस (सपने और चुनौतियाँ): मैरीलैंड इनफैंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम के लिए एक फ़ैमिली गाइड
- इंडिविज्युअल्स विद डिसेबिलिटीज ऐक्ट का भाग सी
- भाग 303, संघीय अधिनियमों (फ़ेडरल रेगुलेशंस) की नियमावली का टाइटल 34
- भाग 300, खंड 560-577, संघीय अधिनियमों की नियमावली का टाइटल 34
- भाग 99, संघीय अधिनियमों की नियमावली का टाइटल 34

इन दस्तावेजों में से किसी की भी प्रतियों के लिये, सम्पर्क करें:

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग

विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन

Maryland Infants and Toddlers Program

200 West Baltimore Street; Baltimore, MD 21201

(410) 767-0261 फ़ोन • (800) 535-0182 टोल फ़्री फ़ोन

(410) 333-8165 फ़ैक्स • (410) 333-0731 TDD


Robert L. Ehrlich, Jr.
गवर्नर

Edward L. Root
अध्यक्ष, मैरीलैंड राज्य शिक्षा बोर्ड

Nancy S. Grasmick
राज्य स्कूल अधीक्षिका

Carol Ann Baglin
सहायक राज्य अधीक्षिका
विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग, रोजगार को प्रभावित करने वाले मामलों में या कार्यक्रमों के लिए मुलभूता प्रदान करने में नस्ल, रंग, लिंग, आयु, राष्ट्रीय मूल, धर्म या विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करता। विभागीय नीति से सम्बन्धित पृष्ठनाछ के लिए, कृपया समानता आपवासन और अनुपालन (इक्विटी अस्युरेंस एण्ड कम्प्लायंस) शाखा को 410-767-0246 फ़ोन 410-333-2226 फ़ैक्स अथवा 410-333-6442 TDD पर सम्पर्क करें। ♦ यह दस्तावेज यू.एस. शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा और पुनर्वासीय सेवाओं के कार्यालय, IDEA, भाग सी, अनुदान #H181A020124 से प्राप्त निधियों से विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के डिवीजन के द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया। ♦ इसमें व्यक्ति विचार आवश्यक रूप से यू.एस. शिक्षा विभाग अथवा अन्य किसी संघीय संस्था के विचारों को परिलक्षित नहीं करते और इन्हें उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिये। ♦ यह जानकारी कॉपी राइट से मुक्त है। पाठकों को इसकी प्रतियाँ बनाने और इसे बांटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु कृपया मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन को श्रेय दें। ♦ अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज ऐक्ट (ADA) के अनुसार यह दस्तावेज, अनुसंधान पर, वैकल्पिक पारूपों में उपलब्ध है। मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग के विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन को 410-767-0261 फ़ोन 410-333-2661 फ़ैक्स 410-333-0731 TDD पर सम्पर्क करें।



शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में माता-पिता के अधिकार और दायित्व

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग
विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन
मैरीलैंड इनफैंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम



मेरीलैंड की शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था का आवश्यक अंग विकलांग शिशुओं और छोटे बच्चों के विकास को सहारा देने और उसे बढ़ाने के लिए परिवारों और पेशेवरों के बीच सहयोग है। यह भागीदारी वह बुनियाद है जिस पर परिवार-केन्द्रित इंडिविज्युअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान्स (IFSPs) तैयार की जाती हैं।

IDEA (दि इंडिविज्युअल्स विद डिसेबिलिटीज एज्युकेशन ऐक्ट) का भाग सी, और मैरीलैंड अधिनियमों 01.04.01 की संहिता/नियमावली दोनों शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था के अन्तर्गत माता-पिता के लिए विशिष्ट अधिकार सुनिश्चित करते हैं।

यह पुस्तिका संक्षेप में इन अधिकारों को परिभाषित करती है, जो सुनिश्चित करते हैं कि माता-पिता के अपने बच्चे और परिवार के बारे में विचारों और पसन्द को सुना जाये और उनका आदर किया जाये, तथा माता-पिता को वह जानकारी सुलभ हो जिसकी उन्हें इन सेवाओं को दिये जाने सम्बन्धी निर्णय लिए जाने में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ज़रूरत है।

मैरीलैंड की शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में भाग लेने वाले हर परिवार को *ड्रीम्स एण्ड चैलेंजिस: ए फैमिलीज गाइड टु दि मैरीलैंड इन्फैंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम* की एक प्रति मिलेगी जिसमें माता-पिता के अधिकार अधिक विवरण के साथ बताये गये हैं।

मैरीलैंड की शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में, माता-पिता को निम्नलिखित अधिकार हैं:

• मूल्यांकन, असेसमेन्ट (निर्धारण), तथा शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के प्रावधान के लिए सहमति देने का।

माता-पिता को वह जानकारी मिलनी चाहिए जिसकी उन्हें इस बारे में जिम्मेदार निर्णय लेने के लिए ज़रूरत है कि उनका बच्चा और परिवार किस प्रकार सेवायें प्राप्त करेंगे। माता-पिता के पास राज्य कानून के अनुसार अन्य सेवाओं के प्रावधान को बिना क्षति पहुँचाये किसी शीघ्र हस्तक्षेप सेवा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है।

• शीघ्र हस्तक्षेप के अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) की समीक्षा करने का और संशोधन हेतु अनुरोध करने का।

माता-पिता को अपने बच्चे का शीघ्र हस्तक्षेप रिकॉर्ड देखने का अधिकार है। यदि माता-पिता मानते हैं कि रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना गलत या भ्रामक है, तो वे अनुरोध कर सकते हैं कि रिकॉर्ड्स (अभिलेखों) को संशोधित किया जाये।

• अपने अधिकारों का और शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था के द्वारा प्रस्तावित कार्यवाहियों का नोटिस प्राप्त करने का।

माता-पिता को अपने अधिकारों के बारे में स्पष्ट और समझी जा सकने योग्य जानकारी मिलनी चाहिए। शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में उनके शामिल रहने की पूरी अवधि के दौरान, माता-पिता को उनकी मातृभाषा में तर्क-संगत नोटिस प्राप्त होना चाहिए कि मूल्यांकन और सेवायें शुरू हो गयी हैं या कोई बदलाव प्रस्तावित है।

• यह चाहने का कि व्यक्तिगत सूचना गोपनीय रखी जाये।

किसी व्यक्तिगत रूप से पहचानी जा सकने योग्य सूचना को शीघ्र हस्तक्षेप और अन्य सेवा प्रदाताओं को बताये जाने से पहले माता-पिता को लिखित रूप से सहमत होना चाहिए। माता-पिता की सहमति के बिना सूचना जारी करने की केवल कुछ परिस्थितियों में अनुमति है।

• मैरीलैंड इन्फैंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम (MITP) के यहां शिकायत दर्ज करने का।

माता-पिता शीघ्र हस्तक्षेप में अपनी भागीदारी के दौरान किसी भी समय MITP के यहां लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि वे निम्नलिखित से असहमत हैं: (1) शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के लिए अपने बच्चे की पात्रता/योग्यता का निर्धारण; (2) अपने बच्चे का मूल्यांकन या निर्धारण; (3) अपने बच्चे के लिए सेवाओं का प्रावधान; (4) अपने बच्चे के लिए सेवाओं हेतु उनका वित्तीय दायित्व।

• किसी निष्पक्ष निर्णय लेने वाले के द्वारा औपचारिक शिकायतों का समाधान कराने का।

माता-पिता के अनुरोध पर, शिकायतों का समाधान करने के लिए एक मध्यस्थता सत्र और/या एक निष्पक्ष सुनवाई संचालित की जायेगी। इन प्रक्रियाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, MITP से उपलब्ध *मीडिएशन एण्ड इम्पार्शल कम्प्लेन्ट रिजोल्यूशन (मध्यस्थता और निष्पक्ष शिकायत समाधान)* ब्रोशर का सन्दर्भ लें।

